

mail

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क/बी-6/नियमन/वि.अनु./प्रशस्त फूड प्रो./636/86 भोपाल,दिनांक 7/10/2021  
प्रति,

संयुक्त/उप संचालक  
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
आंचलिक कार्यालय  
भोपाल/ग्वालियर/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/सागर/रीवा।

विषय:- एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृति के संबंध में आवश्यक जांच कर प्रतिवेदन प्रेषित करने के संबंध में।

म.प्र.कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 के तहत मेसर्स प्रशस्त फूड प्रोडक्ट्स प्रा०लि० इंदौर के द्वारा विशेष अनुज्ञप्ति लिये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त आवेदक की जानकारी पत्र के संलग्न है, जिसके अनुसार आवेदक के संबंध में निम्नानुसार बिन्दुओं पर आपके संभाग अंतर्गत मंडी समितियों से जांच एवं परीक्षण उपरांत जानकारी प्राप्त कर अपने स्पष्ट अभिमत सहित प्रतिवेदन 7 दिवस के भीतर मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि अनुज्ञप्ति के संबंध में आगामी कार्यवाही समयसीमा में की जा सके।

- 1- आवेदक द्वारा संभाग की किसी मंडी में अनुज्ञप्ति प्राप्त की गई है या पूर्व में मंडी अनुज्ञप्तिधारी रहा हो के संबंध में पूर्ण विवरण।
- 2- आवेदक या उसकी प्रोप्राइटरशिप/पार्टनरशिप फर्म पर संभाग की किसी मंडी में कोई शोध्य राशि बकाया हो तो उसकी पूर्ण जानकारी।
- 3- आवेदक या उसकी प्रोप्राइटरशिप/पार्टनरशिप फर्म द्वारा या मंडी अधिनियम की धारा 11(1)(क) के स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट उसके नातेदार द्वारा संभाग की किसी मंडी में कृषकों के भुगतान में व्यतिक्रम किया हो तो उसकी पूर्ण जानकारी।
- 4- अन्य कोई जानकारी जो आवेदक के संबंध में देना चाहते हों।

(प्रबंध संचालक महोदय के निर्देशानुसार)

संयुक्त संचालक  
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

क/बी-6/नियमन/वि.अनु./प्रशस्त फूड प्रो./636/87 भोपाल,दिनांक 7/10/2021  
प्रतिलिपि :-

सचिव कृषि उपज मण्डी समिति समस्त। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।

संयुक्त संचालक  
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल